HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 6174/2026
CNR: RJHC020377192026 | URN: CRLMB / 11022U / 2026

Mubeen Khan S/o Shri Munshi, Aged About 60 Years, R/o Village Pipalkhera Police Station Gopalgarh, District Deeg Rajasthan.

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Anupam Sharma
For Respondent(s)	:	Mr. S.R.Dhakad, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

03/09/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना **अखैपुरा जिला अलवर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **28/2026** अपराध अन्तर्गत धारा **318(4), 316(2) भारतीय न्याय संहिता** में अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त को परिवादी द्वारा जो राशि नौकरी लगवाने के लिए देना बताया गया है, वह राशि वास्तव में भैंसों की खरीद का मूल्य था और कुछ भैंसें दुग्ध नहीं दे रही थीं, इस कारण विवाद उत्पन्न हुआ है। उनका तर्क है कि दिनांक 15.10.2025 की घटना के सम्बन्ध में दिनांक 19.02.2026 को चार माह के विलम्ब से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह अंकित किया गया है कि प्रार्थी इस प्रकार की ठगी करता है परंतु उसके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त एवं परिवादी पूर्व से जानकार नहीं थे, ऐसी स्थिति में प्रथम

मुलाकात के बाद ही नौकरी लगवाने के लिए चार लाख पचास हजार रूपये की राशि देना माने जाने योग्य नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि न्यायालय के आदेश से प्रार्थी ने अनुसंधान में भाग ले लिया है। उससे और कोई अनुसंधान नहीं किया जाना है, अतः प्रार्थी को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी ने परिवादी से नौकरी लगवाने के लिए राशि ली है और उससे धोखाधड़ी की है। दोनों के मध्य फोन पर हुए वार्तालाप का लिप्यांतरण (Transcription) पेश किया गया है जिसमें इस प्रकार नौकरी दिलवाने के लिए राशि लेने का हवाला है, भैंसों की खरीद–फरोख्त का कोई हवाला नहीं है। उनका तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त से दी गई राशि की बरामदगी की जानी है, ऐसी स्थिति में उसे अग्रिम जमानत की सुविधा नहीं दी जावे।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

प्रार्थी/अभियुक्त पर यह आक्षेप है कि उसने परिवादी से कुल 4,50,000/–रूपये की राशि प्राप्त की है। प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि भैंसों की खरीद के सम्बन्ध में यह राशि प्राप्त की गई है जबकि केस डायरी में परिवादी व अभियुक्त के मध्य की वार्तालाप का लिप्यांतरण पेश किया गया है, जिसके अनुसार नौकरी के नोटिफिकेशन, फार्म भरवाने एवं निकली भर्तियों तथा पैसे दिलवाने की बात होना दर्शित होता है, कहीं भी भैंसों की खरीद–फरोख्त के बारे में कोई बात नहीं हुई है। केस डायरी के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त से राशि की बरामदगी की जानी है एवं इस हेतु अभिरक्षात्मक पूछताछ की आवश्यकता होना भी बताया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

58/AJAY KUMAR SINGHAL